श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, [illegible]
केम्प इन्दौर के समक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक ..../2015
प्रस्तुति दिनांक 26/27 – 05 – 2015

नरेश पिता स्व. अशोक चौकसे
उम्र :– 28 वर्ष, धंधा :– पत्रकारिता
निवासी :– वार्ड क. 10 बुधवारा मार्केट एरिया
नेपानगर, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर

1243/27.05-2015 ... याचिकाकर्ता

विनोद दुर्गंधी
प्रार्थी/अभिभावक द्वारा दिनांक 27-5-2015
को प्रस्तुत

विरूद्ध

मोतीलाल पिता मोहन
उम्र :– 70 वर्ष, धंधा :– मजदूरी
निवासी :– वार्ड क. 23 ताप्ती रोड, इंदिरानगर
नेपानगर, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर

... प्रत्यर्थी

19.6.15

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत

माननीय न्यायालय तहसीलदार नेपानगर जिला बुरहानपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 3–अ/70/14–15 (नरेश विरूद्ध मोतीलाल) में पारित आदेश दिनांक 22–04–2015 से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अतिरिक्त मुद्दे एवं आधारों पर सादर प्रस्तुत की जा रही है :–

(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 1653 /15 जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–6–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 22–4–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । अनावेदक द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कराने हेतु म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 35 (3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । तहसीलदार द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यह प्रकरण संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित है, और कब्जा सिद्ध करना एवं प्रकरण का गुण–दोष पर अन्तिम निराकरण उभय पक्ष को सुने बिना नहीं किया जा सकता है । अनावेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	